न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–56 / 2023
वाद प्रविष्टि दिनांक–16.06.2023
निर्णय दिनांक–04.09.2024

हनुमान पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1.तुलसी देवी पत्नि लालचन्द जाति मीना निवासी ग्राम समदपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2.बच्ची पत्नि गंगाबिशन जाति मीना निवासी ग्राम नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3.बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीना निवासी ग्राम बिलायतीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4.रमेश पुत्र गंगाबिशन जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5.राजाराम पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6.रामकिशन पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7.रामफूल पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
.रामराय पुत्र गंगाबिशन जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. लादी पत्नि पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
0.शंकर पुत्र गंगाबिशन जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
1.सन्तरा पुत्री गंगाबिशन जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2.सुरेश पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
.सायर पुत्री गंगाबिशन जाति मीना निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
.तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

ेवक्ता वादी–श्री राधाकिशन गुर्जर एड0
ेवक्ता प्रतिवादी संख्या 01–श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0
ेवक्ता प्रतिवादी संख्या 03–श्री राजेन्द्र सराधना एड0
वादी संख्या–02 व 04 ता 13–अनुपस्थित

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 6/1 रकबा 0.4046 हैक्ट. व ख0न0 6/4 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.4678 हैक्ट. वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। उक्त आराजीयात में वादी का 7/48 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 का है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने हक व हिस्से के मालिक, स्वामी, काबिज, खातेदार व काश्तकार है। पक्षकारान् उपरोक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा कर रखा है और बंहामी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से पर बहैसियत खातेदार मालिक, स्वामी के काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में विधिवत् तकास्मा नही होने के कारण लगान की अदायगी को लेकर तथा मेर कोर को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। इस कारण उक्त आराजीयात का उक्त हक व हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 के मध्य आपस में विधिवत् तकास्मा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 बाबत् तकास्मा आराजीयात पारित फरमायी जाकर भूमि आराजी ख0न0 6/1 रकबा 0.4046 हैक्ट. व ख0न0 6/4 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.4678 हैक्ट. वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी का विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर व प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सराधना ने वकालतनामा पेश कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक वादपत्र वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 ता 13 की तलबी जरिये तहसीलदार पीपलू व रजिस्टर्ड एडी0 किये जाने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 02 व 04 ता 13 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल में लायी जा चुकी है।

अधिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 6/1 रकबा 0.4046 हैक्ट. व ख0न0 6/4 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.4678 हैक्ट. ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। उक्त आराजीयात में वादी का 7/48 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 का है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 13

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने हक व हिस्से के मालिक, स्वामी, काबिज, खातेदार व काश्तकार है। पक्षकारान् उपरोक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा कर रखा है और बंहामी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से पर बहैसियत खातेदार मालिक, स्वामी के काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में विधिवत् तकास्मा नही होने के कारण लगान की अदायगी को लेकर तथा मेर कोर को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। इस कारण उक्त आराजीयात का उक्त हक व हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 के मध्य आपस में विधिवत् तकास्मा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 बाबत् तकास्मा आराजीयात पारित फरमायी जाकर भूमि आराजी ख0न0 6/1 रकबा 0.4046 हैक्ट. व ख0न0 6/4 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.4678 हैक्ट. वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी का विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 6/1 रकबा 0.4046 हैक्ट. व ख0न0 6/4 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.4678 हैक्ट. वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। उक्त आराजीयात में वादी का 7/48 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का निहित है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने भी वाद स्वीकार कर मुताबिक वादपत्र अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार होने के कारण उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 13 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाकर इस कार्यालय के पत्रांक 2187 दिनांक 13.06.2024 से तकास्मा रिपोर्ट चाही गई थी, जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3424 दिनांक 08.08.2024 से प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से तकासमा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं की मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी में स्थित आराजी भूमि ख0न0 6/1/1 रकबा 0.0682 हैक्ट. वादी हनुमान पुत्र ...लाल जाति मीणा सा. पीपलू खातेदार हि. सम्पूर्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 6/1/2 रकबा 0.0682 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 03 बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा सा. बिलायतीपुरा हि. सम्पूर्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड ...गा। ख0न0 6/1/3 रकबा 0.0409 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 तुलसी देवी पत्नि लालचन्द हि. सम्पूर्ण जाति ...णा सा. समदपुरा हि. पूर्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 6/1/4 रकबा 0.2273 हैक्ट. व ख0न0 6/4

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.2905 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 02 बच्ची पत्नि गंगाबिशन राहिन बी. ओ.बी. शाखा पीपलू व प्रतिवादी संख्या 04, 08, 10, 11, 13 रमेश, रामराय, शंकर पुत्र गंगाबिशन, सायर, संतरा पुत्रिया गंगाबिशन जाति मीणा हि. 210/447 व प्रतिवादी संख्या 07 रामफूल पुत्र जगदीश जाति मीणा जाति मीणा सा.देह हि. 90/447, व प्रतिवादी संख्या 12, 06, 05, 09 सुरेश, रामकिशन, राजाराम पुत्र पन्ना हि. 126/447, लादी पत्नि पन्ना जाति मीणा सा.देह हि. 21/447 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner